

विद्यालय संस्कृति, परिवर्तन और शिक्षक विकास

[F-4]

इकाई - 1 विद्यालय संस्कृति और प्रबंधन

* विद्यालय संस्कृति के क्षेत्रों में पहला : अवधारणा, संरचना एवं घटकों की आलोचनात्मक समझ

प्राचीन छर्ट्यों की छर्ट्यों के लिए प्रबंधन की आवश्यकता होता हो चाहे वो घरेलु कामकाज ही, व्यवसायिक कक्ष कार्य हो या बड़ी-बड़ी संस्था हो। हम अपने आस-पास विद्यालय की सुचारू रूप से चलते हुए देखते हैं, इसके पीछे जटिल विद्यालय प्रबंधन है।

विद्यालय प्रबंधन की अवधारणा - विद्यालय प्रबंधन का अर्थ कैसी व्यवस्था से है जिसके माध्यम से विद्यालय के तमाम प्रतिविधियों की सुचारू रूप से किया जाता हो। इसके अंतर्गत विद्यालयी संसाधनों का प्रबंधन तथा मानव संस्कृतों का प्रबंधन आता है। ये कैसी प्राकृति है जो कई क्षेत्रों पर चलती है और इसके लिए कई लोगों की जागीदारी की जरूरत होती है। विद्यालय के बाहर प्रबंधन, विद्यालय क्षेत्र पर प्रबंधन कक्षा क्षेत्र पर प्रबंधन, ये सब मिलकर विद्यालयी प्रबंधन को पुणे करती है।

विद्यालय प्रबंधन की आवश्यकता

- i) विद्यालय के दैनिक गतिविधिओं का संचालन कुचार्क कृप की करने के लिए, जैसे - प्रतिदिन की शुरुआत चेतना भज से करना, कक्षाओं में शिक्षण कार्य में सभी का सुमिक्षा सुनाश चत करना शिक्षा के साथ-साथ खेल-खेल व अन्य गतिविधिओं को शामिल करना इत्यादि।
- ii) विद्यालय के हर आयाम पर ध्यान देया जाए ताकि विद्यालय का सर्वोत्तम विकास हो सके। जैसे विद्यालय मनन, कक्षा-कक्ष, शिक्षण-सामग्री इत्यादि का एक-एक तथा शिक्षकों की कीशतों के विकास पर ध्यान देना।
- iii) विद्यालयी मनन, मंदान, पृथीग्राहाला, पुस्तकालय जैसे संसाधनों का बहुतर देंगे ऐसे उपयोग करना तथा इसी व्यवस्था रखना।
- iv) विद्यालय के सभी क्रमचारियों के साथ तोल-मेल लिठाना।
- v) विद्यालय तथा समाज के बीच अच्छा संबंध विकास करना।

विद्यालय प्रबंधन का उद्देश्य

- i) छात्रों की समावेशी तथा लोकतांत्रिक शिक्षा प्रदान करना,
- ii) विद्यालय से नवाचारी और वैज्ञानिक कार्यों पर जल देना,
- iii) पीने चौथ पानी, विज्ञानी, कवचक्षता और सुरक्षा सुरक्षा का इतजाम करना।

- iv) मानवीय, सांस्कृतिक व विभिन्न संसाधनों का व्यवर्तन रूप से उपयोग करना
- v) विद्यालय को सुन्दर रूप से बदला इत्यादि

विद्यालय प्रबंधन का संरचनात्मक वास्तव

विद्यालय प्रबंधन की संरचना के मुख्य रूप से पांच तरह है - सरन, विद्यार्थी, शिक्षक, समूदाय एवं ज्ञानीय प्रशासनिक संस्थाएँ। इन सभी तरहों का विद्यालय संरचना में बहुमूल्य योगदान होता है किंतु कौन के भी अभाव में विद्यालय की संरचना पूरी नहीं हो सकती है।

i) विद्यालय सरन - विद्यालय प्रबंधन की संरचना में विद्यालय सरन की अहम सूमिका है। इसके अंतर्गत इमारत, विश्वासी, जगह, संस्कृत, प्रशासनिक विद्यालय, छात्रावास, कक्षा-कक्ष, पूर्वीनिर्माण इत्यादि आते हैं। इन सभी चीजों का निर्माण और सही तरीके से नहीं किया गया तो विद्यालय संचालन में दुर्बलियाँ आ सकती हैं। इसके साथ, विद्यालय का उचित परिवेश, जल शुद्धि जल, वायु एवं प्रकाश का भी होना जरूरी है।

ii) विद्यार्थी - विद्यालय संरचना में समान्यतः विद्यार्थी को पढ़नीवाले तथा शिक्षक को पढ़ानीवाले के रूप में देखा जाता है। ऐसी इस नजरिया को बदलने का जरूरत है। शार्टाकि विद्यालय की छुड़ा कोड भी निषिद्ध विद्यार्थी को ही कंट्रोल में रखकर लिया जाता है जैसे पाठ्यक्रम का निर्माण करना हो तो वो आयोजन करना ही इत्यादि। ऐसी

यहों विद्यार्थी को लाज पाने वाले के रूप में
रखा जाता है। विद्यार्थी की निसर्फ़ शिक्षा प्रबंधन
करने वाले अंग के रूप में देखा जाता है और
उन्हें विद्यालय प्रबंधन का अंग नहीं माना जाता है।
लेकिन विद्यालय को कुछ कार्यों में विद्यार्थियों
की भी जिम्मेदारी देनी चाहिए ताकि उन्हें
वहसास हो कि वीं भी विद्यालय प्रबंधन के
एक हिस्सा है। विद्यार्थियों की जिम्मेदारी उनके
कक्षा के हिसाब से देना चाहिए। इनकी
मार्गदारी बाल-संसद एवं मीना भंच में देखा
जा सकता है। पुस्तकालय का संचालन का
जिम्मेदारी भी बच्चों को दिया जा सकता है।

iii) शिक्षक एवं प्रधान-शिक्षक - विद्यालय प्रबंधन में
प्रधानहरापक और शिक्षक का लाभसे कानून
मूर्मिका है। विद्यालय के सभी गतिविधियों
और क्रियाकलापों को कुचार रूप से चलाने
में इनका अहम योगदान होता है। प्रधान-शिक्षक
थोड़ा जना का निमाण करते हैं और उसे शिक्षक
अस्तित्व में लाते हैं। प्रधानहरापक कुछ कार्य
शिक्षकों के साथ मिलकर करते हैं जैसे-
विभिन्न पाठ्यक्रम कहगामी क्रियाओं का संगठन,
विभिन्न गतिविधियों तथा आयोजन का संचालन
आवश्यक कदमों के लिए विचार-विर्माश
करना, बच्चों का नियन्त्रण लेना इत्यादि।
प्रधानहरापक नियंत्रक की मूर्मिका नियमाते
हैं और शिक्षक बच्चों के विकास पर
ध्यान देते हैं। और बच्चों का मार्गदर्शन
करते हैं। उन्हें सही गतिंत का पहचान करना
सीखते हैं।

iv) समूदाय - विद्यालय प्रबंधन की संरचना में समूदाय की भी अहम स्थान है। मान लीजिए नामकन के बाद भी उच्चों अल्पत नहीं आते हैं तो वहाँ समूदाय अपने बढ़कर उच्चों को विद्यालय जाने के लिए प्रेरित करेंगे। विद्यालय अगर जुचारू कृप से नहीं चल रहा हो या वहाँ किसी का मनमानी चल रहा ही तो समूदाय इसमें दखल देकर वही सही कर सकता है। विद्यालय में शिक्षण कार्य समय - सारणी अनुकृप नहीं चल रहा हो या मिड-डे मील में लौह गड़बड़ी हो तो समूदाय शिक्षाकू - अभिभावक हीरक कर के विचार - विमर्श कर सकते हैं। विद्यालय प्रबंधन की संरचना में समूदाय की सूचिका के अंतर्गत ग्राम पंचायत, प्रखण्ड पंचायत, नगरपालिका, नगर - निगम की महत्वपूर्ण सूचिका दिखाई दे रही हैं।

v) प्रशासनिक संस्थाएँ - प्रशासनिक संस्थाएँ विद्यालय जुचारू कृप से चल रहा है या नहीं इसका जोच करती है। विद्यालय कार्य की संवैधानिक कृप से ही रहे हैं या नहीं इसपे नज़र रखते हैं। साथ ही विद्यालय को दिशानिर्देश भी करते हैं जैसे ज्ञादा गमी बढ़ जाने पर या बढ़ आ जाने पर विद्यालय की बंद करने का आदेश देते हैं।

* विद्यालय प्रबंधन की व्यवस्था और अंतीमीहत मान्यताएँ : विभिन्न धटक, कार्य संस्कृति, अनुशासन, समय प्रबंधन, आपदा प्रबंधन, जल संसद व मीना भव की मूर्मिका

समय प्रबंधन

विद्यालय का सुचारू क्षेत्र से चलना ही महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि इसके सभी कार्य सही समय पर ही, ये भी महत्वपूर्ण हैं। विद्यालय की दिन की शुरुआत से लेकर अधिकारी घंटी तक का समय सारणी तैयार किया जाता है। साथ ही वार्षिक कैलेंडर, परीक्षाओं का कैलेंडर, आयजनों का कैलेंडर इत्यादि तैयार किया जाता है। जिससे विद्यालय अपना सभी कार्य शही समय पर कर पाते हैं।

विद्यालय समय सारणी कई क्षेत्रों पर तैयार किया जाता है। उसमें से कुछ निम्नलिखित हैं:-

- i) दिनचरी के अनुसार समय - सारणी - विद्यालय का शुरुआत चेतना - सज्ज से होता है, उसके बाद विभिन्न विषयों के लिए घंटी बनाई जाती है। जिसमें विभिन्न विषयों के साथ - साथ ग्रेल-क्रूप, जीत - संगीत के लिए भी जगह बनाई जाती है। चेतना - सत्र विद्यालय का एक व्याक्त विकास ही है। इसमें प्रार्थना, प्रेरक प्रसंग, सूचना प्रसारण, शारीरिक व्यवहार, जौच, उद्घोषणा, चौगा इत्यादि गतिविद्ययों की जाती है। चेतना सज्ज का भी संचालन विद्यालय के सफलता का सूचक होता है। बच्चकर चेतना - सज्ज का सकारात्मक प्रभाव बच्चों पर होता है।

- ii) कक्षानुसार समय सारणी - यह समय - सारणी हर एक कक्षा के लिए बनाई जाती है। इसमें निम्नलिखित जानकारी दी जाती है कि कौन सी छंटी में कौन सा विषय का पढ़ाई होगा। और उसे कौन शिक्षक पढ़ाएंगे, उनका नाम भी लिखा रहता है। व्याख्या की तरफ से अलग होने और अन्य सहायी क्रियाओं का भी वर्णन रहता है।
- iii) शिक्षाकल्पना सारणी - इस प्रकार का समय-सारणी शिक्षकों के लिए बनाया जाता है। इस समय-सारणी का दो प्रति हीती है। एक प्रति प्रधानाइयपक्रम कार्यालय में रहता है और एक शिक्षक के पास। हस्ते हिसाब भी शिक्षक शैक्षणिक कार्य करते हैं। यह समय-सारणी प्रधानाइयपक्रम के लिए बहुत आवश्यक होता है, इससे पता चलता है कि कौन शिक्षक किस कक्षा में क्या पढ़ा रहे हैं।
- iv) पाठ्यक्रमानुसार समय-सारणी - सभी विद्यालय के पाठ्यक्रम में शौड़ा अंतर होता है। केंद्रीय विद्यालय का अलग पाठ्यक्रम होता है और राज्य विद्यालय का अलग। सभी विद्यालय के भूमान विषय और वर्ग में नहीं होते हैं। अतः यह विद्यालय इन पर प्रत्येक विषय के पाठ्यक्रम अनुसार बनाया जाता है। इससे विषय की पढ़ाई प्रत्येक सज्जा में सही समय पर हो जाता है।
- v) विद्यालय संपूर्ण समय सारणी - इस समय-सारणी में विद्यालय के सभी कार्यों का वार्षिक क्रमांक दी गया है। यहाँ विद्यालय की जानकारी, शैक्षणिक कार्यक्रम, राहदारीय क्रियाएँ, फुटबॉल ट्रॉफी, अवकाश अन्य गतिविधियों व कार्यक्रमों, शिक्षक - अभियानों और इत्यादि का उल्लेख रहता है।

आपदा प्रबंधन

बिहार के ऐसा शैक्षय है जहाँ आपदाओं का संकट हमेशा बना रहता है। आपदाएँ दी प्रकार की होती हैं - प्राकृतिक और मानवजनित। प्राकृतिक आपदा में सूक्ष्मप और बाढ़ का खतरा रहता है और मानवजीनित में कमज़ीर दिवारों का टूट कर गिरना, इल या लड़के दुष्टीना, आग या जाना, विजली का करंट भग्नाना, इत्यादि ऐसे में शिक्षकों का कर्तव्य बनता है कि वो बच्चों को इन संकटों से अवगत कराक और इन बाब से बचने का उपाय बताए। यही नहीं विद्यालय का अह मी कर्तव्य है कि वो समाज की इसके लिए जागरूक करे और ऐसे संकटों से बचने के लिए सुरक्षा उपाय हमेशा तैयार रखें। विद्यालय में आपदा प्रबंधन के ट्रॉटर्कों पर से सुरक्षा शिक्षा के अंतर्गत चार प्रमुख पहलुओं रखा गया है, जो निम्नों लाभ हैं -

- i.) तैयारी - विद्यार्थीयों और लोगों ने जागरूकता पूर्ण - मानवीय एवं जीविक संसाधनों का ज्ञान सुची तैयार करना जो आपदा के समय काम आए। - नाटकीय अनुभास द्वारा कार्यकुशलता बढ़ाना।
- ii.) मदद (अनुकूलिया) - आपदा के समय, बाढ़ में या पहले सुरक्षात्मक उपाय मदद करती है। - घायलों के लिए चिकित्सीय उपचार करना - प्रभावित लोगों को सुरक्षित रखने का उपचार करना - छोड़े हुए लोगों को खोजने के लिए गठन करना

III.) पुनर्वासन \Rightarrow आपदा से प्रभावित लोगों को फिर से अचित व्यवहार पर ठहशनी की चेतावनी, पुनर्वासन कहताता है।

- संक्रमित लीमारियों को फैलने से रोकने का उपाय करना
- प्रभावित लोगों का मनोबल बढ़ाना ताकि वे इनमें शामिल न रहें।
- आपदा के बाद भूखे से उपचारी वस्तुओं को हाँटकर अलग करना
- प्रभावित लोगों को वित्तीय सहायता करना और अन्तर्राष्ट्रीय शोजगार का चेतावनी करना।

IV.) निवारण \Rightarrow आपदा की रोकथाम के लिए पहले से की जाने वाली उपाय, निवारण कहताता है।

- घृतशोषण प्रभावित क्षेत्रों से इन आषाढ़ी वसाया जाए
- मवनों के निर्माण के समय आपदारौदी उपरोक्तों को ध्यान में रखा जाए।
- सुसुदाय में जाहार-करता फैलाना।
- आपदाओं के समय क्या करना, याहर इसका प्रशिक्षण देना इत्यादि।

इस प्रकार के उपाय की अमल में लाने से आपदाओं के बाद कम नुकसान होगा। सुसुदाय प्रशिक्षित होंगे तो इटकर इसका मुकाबला करेंगे। इसकी महत्वा को समझते हुए इसे पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। इससे बच्चों में सुरक्षान्मक समझ विकसित होगी।

बाल संसद

बाल संसद विद्यालय के विद्यार्थियों का एक मिशन है, जहाँ वे अल्पकृत अपने आधिकारों का लात कर सकते हैं। इससे बच्चों में जीवन कीशलों का विकास होता है, निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है एवं विद्यालय प्रबंधन में उनका आजीदारी सुनिश्चित होता है।

बाल संसद का गठन :- बाल संसद का कार्यकाल एक वर्ष का होता है। हर सत्र के पहले महीनों में बाल संसद का गठन कर लिया जाता है। प्रधानाध्यक्ष के शिक्षकों को बाल संसद का गठन करने का दायित्व दे दिये हैं। सुन्दरीजी के शिक्षक सभी बच्चों को पूर्व सूचना दे जलाते ही सभी विद्यार्थियों को वर्ग अनुसार बँगाया जाता है। उसके बाद सभी बच्चों को बाल-संसद के बारे में विस्तार से बताया जाता है। उसके बाद सभी विद्यार्थियों में से एक प्रधानमंत्री और एक उपप्रधानमंत्री चुना जाता है। इसमें से एक लड़की का होना आवश्यक है। इस चयन के बाद सभी कर्मियों के बच्चों को पोच समूह में इस तरह से बांटा जाता है कि विभिन्न प्रकार के बच्चे सभी समूहों में हो। इन समूहों का नाम सहापुरुषों, नूदियों, पुलों, पहाड़ों के नाम से रखा जाता है। प्रत्येक समूह से कुक मंत्री और एक उपमंत्री को चुना जाता है। इसमें से एक लड़की आनंदवाय रूप के होती है। इसके बाद प्रधानमंत्री हारा सभी मंत्री और

उपमंत्री का बैठक शुल्क जाता है तबा दायित्वों
का बैठवारा किया जाता है।
बाल संसद के मंत्री निम्ननिलिखित हैं:-

- 1.) प्रधानमंत्री एवं उपप्रधानमंत्री
- 2.) शिक्षामंत्री एवं उपशिक्षामंत्री
- 3.) वर्तारक्षय एवं वर्तहता मंत्री और उप-
- 4.) जल कृषि मंत्री और उप-
- 5.) प्रकृतकालय एवं विज्ञान मंत्री और उप- -
- 6.) सांस्कृतिक एवं खेलमंत्री और उप- -

इस प्रकार बाल संसद के बारह सदस्य
होते हैं।

मीना मंच

मीना मंच किशोरियों का एक ऐसा समूह है जिसका
शिक्षा की बाधाओं को दूर कर समाज को एक
आदर्श प्रकृत करता है। इसके सदस्य भड़ीकर्यों
को विद्यालय जाने के लिए पैसित करते हैं। इसका
गठन एक शिक्षक या प्रधान शिक्षक के देखरेख
में किया जाता है। शिक्षक का काम है, मंच को
सीक्रिय बनाना, मीना मंच का गठन करना, बैठक
करना और योजना बनाना। मीना मंच में
से एक किशोरी को चुना जाता है जो प्रेस्क्रिप्शन
के क्षेत्र में जानी जाती है। इसका कार्य है मंच
को नीटत करना। सभी सदस्य सहायता में एक
बार मिलकर योजना बनाते हैं। यह बैठक महाल
या विद्यालय के हृदी के बाहर किया जाता है।
मीना-मंच के सदस्यों का प्रमुख कार्य निम्ननिलिखित
है:-



1979

- i) अनामोंकित वा अनियमित बच्चों को विद्यालय से जोड़ना।
- ii) लड़कों को शिक्षा, अवासव्य संव एवं वर्जना की प्रति जागरूक करना।
- iii) विद्यालयी एतिविद्यों में लड़कों की मान्यताएँ बढ़ाना।
- iv) दैहजन्मपृष्ठा संव बाल -विवाह के लिए समाज को जागरूक करना।
- v) लड़कों के लिए विभिन्न प्रतियोगिता का आयोजन करना।

मीना मंच का उद्देश्य निम्नलिखित है-

- i) यह दैखना की लड़कों कही आयु में क्लूल में दौखला लें।
- ii) लड़कों प्रतिदिन विद्यालय आए।
- iii) इनके व्यक्तित्व में निखार आये।
- iv) लड़कों नीतत ए सहयोग का भावना जागृत हो।
- v) शिक्षा से जुड़े मुद्दे पर जागरूकता पैदा करना।

* विद्यालय प्रबंधन से संबंधित दस्तावेजों की अमृशः विभान्न रिकॉर्ड, अकलन एवं उपचारिता

विद्यालय का संचालन के लिए शिक्षा-विभाग संतुलन कार से फा-थ्रॉव हार करना होता है। इसीलिए विद्यालय की उत्पत्ति, विकास एवं प्रगति की संबंधित सभी रिकॉर्ड को रखना जरूरी होता है। विद्यालय की छुट्टी छर बातों का रिकॉर्ड अलग-अलग पाइलों में लेवरिंग रखना जरूरी होता है ताकि आधिकारियों को दिखाया जा सके।

परिवद्यालय की इन सभी सूचनाओं और बातों को पाइलों में लिखकर रखने को ही विद्यालय अभियन्त्रण कहा जाता है।

विद्यालय अभियन्त्रण के प्रकार

आमा-न्य	आभियन्त्रण	विद्यालय अभियन्त्रण
i) अद्यापक की संबंधित अभियन्त्रण		
ii) विद्यालय से "	"	"
iii) उपकरण	"	"
iv) औकड़ा	"	"
v) नामांकन	"	"

⇒ विद्यालय अभियन्त्रणों की ओर शक्ति

i) अमान को संतुष्ट करने के लिए

ii) संकुल प्रबंधनों को संतुष्ट करने के लिए

iii) शिक्षा विभाग द्वारा जोच होने पर

- iv) बृह्यों के अभिभावक को संतुष्ट करने के लिए
- v) उच्चत भागितानि के लिए
- vi) कुशल प्रशासन के लिए
- vii) विद्यालय को शुचारू रूप से बदलाने के लिए

* विद्यालय में दिन की हुरूआत : चेतना सत्र की अमावस्या

विद्यालय ही किसी एक संस्था है जिसका हुरूआत (चेतना सत्र) से होता है। इसमें प्रधानाध्यापक, शिक्षक-शिक्षिकाओं वाले संसद, मीनामंच व वे अन्य विद्यार्थियों की मूर्माका होती है। चेतना-सत्र का हुरूआत प्रावणा से होता है और इसमें विचानन क्रियाएँ कि जाती हैं जैसे - कविता सुनाना, होटी-होटी प्रेरक कहानी श्रृंखला, मार्ग का संविद्यान, मौलिक ओष्ठकार, राहद्रगान इत्यादि। समाचार-वाचन का भी प्रस्तुतीकरण किया जाता है। इससे बृह्यों के व्यवहार से निष्ठार आता है। उनमें अभियोगित और शिक्षा का विकास होता है। उन्हें व्यवहारिक ज्ञान होता है। इसके बारे ३० हें नीतिक शिक्षा भी मिलती है। इस समाज के बारे ३० हें तमाम जानकारियों प्राप्त होती है जैसे दैश-विदेश की जानकारी, विद्यालय से छुड़ी भूचना इत्यादि। चेतना सत्र के दैशन बृह्यों को नाश्तून करता है या नहीं, किपड़ा साफ है या नहीं इन सभी बातों को भी देखा जाता है। जिससे वे साफ-कफाई के प्रति व्यज्ञ होते हैं।

इकाई-2 विद्यालय में परिवर्तन

विद्यालय एक ऐसा संस्था है, जिसके कृतिकरण में सूमन्य - समग्र पर बदलाव होते रहते हैं। यह परिवर्तन बच्चों के विकास में लुटाए जाने के सिर्फ़ विकास जाता है। इस साइरप्स से बच्चों के शिक्षा में नवाचार आता है और वो नई - नई बातों को सीख पाते हैं।

* विद्यालय सर्वन का सूखनात्मक प्रश्नोः सीखने सिखाने के साइरप्स के कृति में

विद्यार्थियों के शिक्षा में विद्यालय का अहम योगदान होता है। यह सिर्फ़ इंटर का बना इमारत नहीं होता है बल्कि यह एक ऐसा जगह है जहाँ बच्चों के कल्पना क्षमता का विकास होता है। यहाँ बच्चों के सूखनात्मकता पर ध्यान दिया जाता है। अतः विद्यालय मर्वन ऐसा होना चाहिए कि बच्चे सीखने को प्रेरित हो। पाठ्य-पुस्तकों के ऊँटी बातों को दीवारों पर बनाया जा सकता है। जैसे प्राथमिक स्तर के बच्चों के कक्षा के दीवारों पर विभिन्न प्रकार के फल-फूल बनाया जा सकता है। महाये, स्तर के बच्चों की विकास के दीवारों पर विभिन्न प्रकार का चित्र बनाकर लगाने को प्रेरित किया जा सकता है। उन्हें विषय से जुड़ी बातें जैसे किंवान में शरीर के अंगों का नाम का इंजाचर, मुँहाल में सीरमांडल का चयन, दूर्घाति बनाकर भगाने को कहा जा सकता है। जिससे मर्वन आकाशी भी भर्गा और बच्चों का सूखनात्मक विकास भी होगा।

* शिक्षा अधिकार के अंतर्गत विद्यालयी व्यवस्था में परिवर्तन

शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में पारित हुआ और 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया। इस अधिकार के आने के पीछे अनेक इतिहास है। 1910 के गौबद्धते बिल से लेकर भारत के आजाद होने तक, मारतीय सांविधान समा में शिक्षा के मुद्दे पर बहस होती रही। उस समय इस अधिकार को सांविधान के किस भाग में रखा जाए इस पर दो मत थे। पहला यह था कि शिक्षा के मूल अधिकारों में शामिल करना चाहिए और दूसरा था कि नीति निर्देशक संस्थान के अंतर्गत अनुच्छेद 45 में शामिल किया जाना चाहिए। अंततः इस अनुच्छेद 45 में शामिल किया गया और कहा गया कि सांविधान लागू होने के 10 वर्ष के मीट्र, 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए शिक्षा का व्यवस्था राज्य व केंद्र सरकार द्वारा कर लेना चाहिए।

लेकिन 1993 में सर्वीट्रो-व्यायालय द्वारा उन्नीकृण बनाए आए प्रदेश सरकार के मुकदमे का निर्णय आया कि इसे मूल अधिकारों के तहत रखना चाहिए। इसीलिए 2002 में सांविधान की 46 वें संशोधन विद्योग्यकृ को पारित किया गया। जिसमें कहा गया कि शिक्षा के अधिकार को जीवन जीने की व्यतीत से जोड़ कर रखना चाहिए। अतः इस अधिकार की अनुच्छेद 21 जो कि जीवन जीने की व्यतीत से संबंधित है, में 21(A) में जोड़ गया। इस आधोन्यम

को बनाने में आठ वर्ष तक गया और अंततः 2009 में पारित हुआ। इसमें कहा गया कि शिक्षा बच्चों का सूल अधिकार है। सभी बच्चों को निश्चालक और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना सरकार का दायित्व है।

शिक्षा अधिकार अधिनियम का मसुख बिंदु निम्नलिखित है—

- 6 से 14 वर्ष की आयु वाले सभी बच्चों को निश्चालक एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना 2012 तक केंद्र भारत सरकार की जिम्मेदारी होगी।
- 62 एक आवासीय क्षेत्र के 1 किमी दूरी में कक्षा 5 तक का प्राथमिक विद्यालय होगा।
- 62 एक आवासीय क्षेत्र के 3 किमी दूरी में सक्का 8 तक का महार विद्यालय होगा।
- प्रारंभिक कक्षा आगे कक्षा 8 तक था 14 वर्ष तक के बच्चों को किसी कक्षा में असफल घोषित नहीं किया जायगा।
- किसी भी बच्चे को उसके आयु अनुसार कक्षा में दोषित दिया जायगा।
- सभी निजी व सरकारी विद्यालयों में 25% शीट शीट वंचित तथा आश्रित हॉटिट से कमजोर बच्चों के लिए किया जायगा।
- जिन बच्चों का नामकरण आरक्षण के आधार पर होगा, उनके पीस का छिंदा 2012 तक केंद्र सरकार विद्यालय को ढूँढ़ा करेगा।
- विद्यालय में प्रवेश देते समय विद्यार्थीयों तथा अतिरिक्त भावकों के साथ सामान्यकार नहीं किया जायगा और आरक्षित कोई वाले बच्चे से किसी तरह का दानशुल्क नहीं लिया जायगा।

* समावेशी शिक्षा के अनुरूप विद्यालय संगठन व प्रबंधन

समावेशी शिक्षा का अर्थ है समान्य विद्यार्थियों के साथ-साथ विशेष बच्चों को भी समान शिक्षा प्रदान करना। विशेष बच्चों का अर्थ है, ऐसे बच्चे जो शारीरिक रूप से विकल्पण हैं, या उनमें कोई शारीरिक कीमियों ही जैसे-चलने में कठिनाइ होना, सुनाइ नहीं होना, दिखाऊ नहीं होना इत्यादि। इस शिक्षा के तहत कोई बच्चों की विद्यालयी वातावरण में छोड़ बदलाव कर विशेष प्रशिक्षित शिक्षक द्वारा सहाय उपकरणों को मदद से शिक्षा दी जाती है।

इस शिक्षा के अनुरूप विद्यालय के मौजूदक संरचना और संसाधनों में आवश्यकतानुसार बदलाव लाया जाता है। नृत्यिक विशेष बच्चों आन्सानी को अपना काथ कर सका। बैल में किताबें, साकेतिक भाषा से उपकरणों, स्लाइडिंग सीटियों इत्यादि सहाय उपकरणों का ग्रंथवेरस्था किया जाता है। बच्चों को प्रोत्साहित किया जाता है। साथ में शिक्षा द्वाहण करने से उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। राष्ट्रीय पाठ्यचार्य की बृन्परेखा - 2005 में भी इसका चर्चा किया गया है। और विद्यालय को इस बात का ध्यान रखने को कहा गया है कि कोई ऐसे बच्चों को, अंदा, लंगड़ा इत्यादि उपनामों के संबोधित नहीं करा। बच्चों को यह रहस्यास नहीं होनी देना चाहिए कि उनमें कोई अक्षमता है।

* कला क्षमोक्ति शिक्षा के माध्यम से विद्यालयी परिवेश के कक्षागती शिक्षण में बदलाव

कला क्षमोक्ति शिक्षा द्वारा बच्चों को कोई भी विषय-वस्तु का समझाना आसान होता है। इसके अंतर्गत बच्चों को विभिन्न माध्यम चित्रकला, इत्यादि द्वारा शिक्षा दी जाती है। जिससे उन्हें विषय-वस्तु की उनके महिलाओं में रूपरूप हो जाता है। और इस माध्यम से प्राप्त शिक्षा उन्हें बहुत दिनों तक याद रहता है। बच्चों को यह माध्यम कान्चकरूँ और आनंदमय लगता है।

इसीलिए विद्यालय प्रबंधन कला के महत्व का समझती है। और विद्यालय परिवेश में कला का महील बनाती है। शिक्षाको को निर्देश दिया जाता है कि बच्चों को कला के माध्यम से विषय पढ़ाये। बच्चों को कला के लिए प्रेरित करें। बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए विद्यालय प्रबंधन विभिन्न प्रकार के प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं। जैसे - चित्रकला प्रतियोगिता, मॉडल वा प्रौजेक्ट बनाना, गीत-संगीत प्रतियोगिता, इत्यादि। विद्यालय में दिन का शुरूआत चैतना लिंग से किया जाता है, यह मी कला प्रदर्शित करने का एक जरिया है। इसमें प्राथना, प्रैक्टि प्रसंग, कविता, लघु कहानी इत्यादि बच्चों द्वारा सुनाया जाता है। इससे बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ता है और उनके व्यक्तिगत में निखार आता है।

* सूचना व संचार तकनीकी का शिक्षण प्रक्रिया में प्रयोग

वर्तमान समय में सूचना संकुल संचार तकनीक शिक्षण प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग बन गया है। विद्यालय प्रबंधन में भी यह बहुत महत्वपूर्ण है। विद्यालय समय - सारणी, शिक्षकों और छात्रों का ट्रॉफेर, परीक्षाफल इस तकनीक के माध्यम से आसानी से बना लिया जाता है। और इसमें वक्त भी कम लगता है। पृथिव्यानेहरापत्र इस माध्यम से विद्यालय का लेखा-जौखा स्पष्ट और सुरक्षित रख पाते हैं। इससे शिक्षण प्रक्रिया शोधक और आनंदमयी होता है। छात्रों के रंग-बिरंगे किताबें इसी के चर्दूद से बनाया जाता है। इस तकनीक के अंतर्गत इश्यु-त्रय जामणी, कम्प्यूटर, सीडिया, ब्लॉड, रोडियो, हेप-रिकार्ड, टी. वी. डैशबोर्ड उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। कम्प्यूटर ड्राश इंटरनेट का प्रयोग करके कोई भी जानकारी पाते किया जाता है। इस तकनीक के द्वारा विषय से संबंधित चित्र, ग्राफिक्स, विडियो, चाट छात्रों को दिखाया जाता है। साथ ही साथ कमी-कमी इसका आलोचना भी होता है। इसके कारण छात्रों हस्तकौशलों से दूर होते जा रहे हैं। फिर भी यह ऊन का जरूरत है और इससे कोई भाव नहीं सकता है। यहाँ विद्यालयों में इस तकनीक से पूर्णशिक्षित शिक्षकों का बहाली होने आवश्यक है।

[इकाई ३: विद्यालय शिक्षण की व्यवस्थाएँ]

* कक्षा - कक्ष शिक्षण की प्रकृति : परम्परागत, बालकंद्रित, लोकतांत्रिक, सूजनात्मक, आदि

कक्षा - कक्ष विद्यालय का एक प्रमुख अंग है। बच्चों का उचादा से उचादा समय कक्षा - कक्ष में ही बीतता है। शिक्षण कार्य से जुड़ा हुआ अधिकर कार्य यही पर होता है। इसीलए कक्षा - कक्ष की प्रकृति ऐसा होना चाहिए कि बच्चे यहाँ खुद को सहज महसूस करें। कक्षा - कक्ष की प्रकृति इस प्रकाश है -

i) परम्परागत - शुरुआत में शिक्षण कार्य का त्वाभ्यास सभी काम कक्षा - कक्ष तक ही सीमित था। कक्षा - कक्ष शिक्षक - कंद्रित था। समय के साथ शिक्षा के बदलते रूप के बजह से कक्षा - कक्ष के परंपरिक व्यवस्था में परिवर्तन आया है। ऐसे में अधिकार का अन्तर्गत सिर्फ कक्षा कक्ष को नहीं माना जाता है। लॉक इसके लिए शैक्षणिक परिवेश का निर्माण किया जाता है।

ii) बालकंद्रित - बालकंद्रित का अर्थ है सीखने का वैसी प्रक्रिया जिसमें बालक सहज व्यवस्था में सीखने को प्रेरित हो। बच्चों को खेल, चित्र विडियो या अन्य गतिविधियों द्वारा सीखने का प्रबास किया जास। परंपरागत रूप में यह ने पर जोड़ दिया जाता था तो किन बालकंद्रित शिक्षा में समझाने का कोशिश किया जाता है। बच्चों में उत्सुकता जागृत करने का कोशिश किया जाता है ताकि वह वो खुद सीखने

के लिए प्रेरित हो।

iii) लौकतांत्रिक - वर्तमान समाज का कक्षा - कक्ष लौकतांत्रिक होता है। इसका मतलब सभी बच्चों को समान महत्व दिया जाता है। उन्होंने सभी के विचारों की सुना जाता है। सभी बच्चों को सीखने का समान अवसर दिया जाता है। विद्यारूप में कक्षा में जिन्न-। मन्न आंशिक सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश के बच्चे होते हैं उनमें कोई अंतर नहीं किया जाता है।

iv) सूजनात्मक - सूजनात्मक यांन बच्चों को कुछ नया करने का अवसर दिया जाता है। ३०-४० खंड से कर के सीखने का मौका दिया जाता है। बच्चों में सूजन का हुण होना अतिआवश्यक है। इससे वो किसी समस्था को नहीं हुए से हल कर पाते हैं। और उनका सीखने - समझने का शक्ति का विकास होता है।

v) समार्थी कक्षा - इस तरह के कक्षा-कक्ष का मतलब है, विशिष्ट बच्चों को समान्य बच्चों के साथ शिक्षा प्रदान करना। इसके लिए कुछ भावाय उपकरणों जैसे वैल लिपि, इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। साथ ही कुछ विशेष परीक्षित शिक्षकों को भी बहाल किया जाता है। ऐसे कक्षा-कक्ष से बच्चों में आमशक्ति का विकास होता है।

* कक्षा - कक्षा संचालन : कक्षा की व्यवस्था कक्षा में संप्रेषण किए सीखने - सिखाने के विविध रूप

कक्षा - कक्ष संचालन का अर्थ है, कक्षा में कौन कैसा बातावरण हो कि वहों शिक्षण कार्य कुचारू रूप से चल सके। कक्षा - कक्ष में आवश्यकतानुसार शिक्षण औद्यगम वस्तु के उपलब्ध हो। शिक्षक बच्चों के काम सकारात्मक इक्ता बनाए ताकि कक्षा - कक्ष में अच्छे से संप्रेषण हो सके। शिक्षक अपने कक्षा - कक्ष में विभिन्न शिक्षण गतिविधियों का प्रयोग कर शिक्षण कार्य करें। सभी बच्चों के मानविक रूप में ओड़ा अंतर होता है। इस बात का ध्यान रखते हुए अलग - अलग उदाहरणों का प्रयोग करें। बच्चों को सीखने के लिए समय-समय पर उत्साहित करते रहें। कक्षा संचालन के समय शिक्षकों की निर्देश बातों का ध्यान रखना चाहिए - परिवेश का निर्माण।

- i) शिक्षण औद्यगम सामग्री का व्यवस्था
- ii) शिक्षण औद्यगम विद्यया
- iii) शिक्षण औद्यगम गतिविधियों
- iv) बच्चों को अच्छे व्यवहार करने को प्रेरित करना
- v) प्रथेक विद्यार्थीयों पर नजर रखना
- vi) अपट निर्देश देना
- vii) शिक्षक - शिक्षार्थी के बीच अंतः क्रिया
- ix) पाठ का क्रमबद्ध पढ़ाना
- x) बीच - बीच में आकर्षन करना
- xii) माघा छोली, हाव - भाव और व्यंग की गति पर ध्यान देना।

* सीखने की योजना (भिन्निंग ट्रैन): अवधारणा, योजना निर्माण, क्रियान्वयन, तथा क्रमसंचयकन

जब कोई शिक्षक प्रशिक्षण ले रहे होते हैं, उस दौरान 30 हें लुट महीना विद्यालय में पढ़ाने का कार्य दिया जाता है। जिससे शिक्षा-प्रशिक्षा की व्यवहारक शान प्राप्त होता है। सीखने की योजना निर्माण करने का उद्देश्य होता है कि व्यक्त धंटी में जितना एवं विषय-वस्तु के मार्ग को पढ़ाना है वह सके एक धंटी समाप्त होना। 45 मीनट के होते हैं, इसमें शिक्षक को विभिन्न क्रियाएं करने होता है। जैसे-विषय-वस्तु की जानकारी देना, इसे प्रस्तुत करना, बच्चों का बीच-बीच में आकर्त्तव्य करना, शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग करना, विभिन्न शिक्षण विधियों का प्रयोग करना इत्यादि। सीखने की योजना से कुक व्यवरण तैयार हो जाता है। इससे कक्षा-कक्ष सुचारू रूप से चलाने में मदद मिलता है। सीखने की योजना में विभिन्न जानकारी होती है। जैसे - शिक्षक-शिक्षकों का नाम पाठ का नाम, पीरियड, विषय, टॉपिक, दिनांक कक्षा। इसे सुचनात्मक विवरण कहते हैं। सीखने की योजना में सुचनात्मक नियन जानकारी भी जाती है -

- i) सुचनात्मक विवरण
- ii) विषय-वस्तु के खड़ी पूर्व शान
- iii) विषय-वस्तु का विवरण
- iv) सीखने - सीखाने की विधि

- v) उपयोग किया जाया शिक्षण अधिगम सामग्री
- vi) बच्चों को पुढ़े जाने वाले सवाल
- vii) अवलोकन
- viii) मूल्यांकन इत्यादि
ये सभी शिक्षा-प्रशिक्षण छार एवं
मरा जाता है।

* पाठ्य - सहगामी व सह - शैक्षक क्रियाएँ : महात्व,
थीजना एवं लिखा-वर्तन (गतिविधियाँ, कला,
छेल इत्यादि)

पाठ्य - सहगामी व सह - शैक्षक क्रियाएँ विद्यालय
में पाठ्यक्रम के साथ - साथ चलती हैं इन क्रियाएँ
छार किसी भी विषय - वर्ष को बनायकर बनाया
जाता है। यह बालकोंद्वारा शिक्षा प्रक्रावी रूप से
होने में मदद करता है। इसमें बच्चों का क्रियाएँ
सम्मिलित होता है। जिससे बच्चों में गतिशीलता
उत्पन्न होता है और उनका मानसिक शारीरिक
विकास होता है। पाठ्य सहगामी क्रियाएँ के
अंतर्गत विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ कला,
छेल इत्यादि का आर्थीजन किया जाता है। जैसे -
बच्चों को गिनती कीजाना ही तो उसे कविता
छार सिखाई जाती है।

इसका महत्व निम्नलिखित है -

- i) शारीरिक विकास - छेलों में बच्चे मापा लेते हैं।
- ii) मानसिक विकास - बच्चे एवं एवं से कार्य करते हैं।
- iii) ग्रन्थितात् विकास - इन गतिविधियों में मापा लेकर
बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ता है, और उनका
स्वभवितात् का विकास होता है।

→ सुरक्षा संहगामी कृत्यार्थ नियन्त्रित है-

i) आधारक कृत्यार्थ - वाद-विवाद, माध्यम,

संकांकी, नाटक, अनुचाक्षरी इत्यादि

ii) शैक्षिक कृत्यार्थ - विज्ञान प्रोजेक्ट, इतिहास,

मूर्गील, प्रोजेक्ट

iii) शारीरिक कृत्यार्थ - कबड्डी, खेल-खेल, फुटबॉल,

भड़की, कुदे - - -

iv) कलात्मक कृत्यार्थ - चित्रांकन, रेखांचित्र,

गीत-संगीत, लोकनृत्य, मूर्तिकला

v) सामाजिक कृत्यार्थ - श्रमदान, सफ-सफाई,

पाणीमके नियन्त्रण सा - - -

→ कृत्यान्वयन

इसके कृत्यान्वयन हेतु विद्यालय में अप्सरा उपचुक्त जगह, मवन, सामग्री उपलब्ध होना चाहिए। सभी विद्यार्थीयों को इसमें भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। जिनमें इनमें नहीं हो, उनमें इनमें जाए होना चाहिए। इसके लिए कौशिक विद्यार्थीयों को इसके लिए समर्थ-सारणी भी तैयार कर लेना चाहिए। जिससे यह कुचारन और व्यवस्थित कर के नहीं सभी बच्चों को समान अवसर, और कुविद्यार्थ प्रदान करें। इन कृत्यार्थ के लिए जो शुल्क लिया जाता है उसका अलगा विद्यार्थी को हिसाब देखा जाए।



इकाई-४: शिक्षक वृत्तिक विकास (प्रौद्योगिकी नल डेवेलपमेंट) के आशाएँ

* शिक्षक वृत्तिक विकास: अवधारणा, आवश्यकता, नीतिगत
विमर्श व सीमाएँ

आज शिक्षा का जो अवसरपूर्ण है, उसके लिए शिक्षकों की विशेष तैयारी करने की आवश्यकता ही उन्हें नई बातों की सीखने के लिए हमेशा तैयार व तैयार रहने की जरूरत है। उनके उच्चमीदु रखा जाता है कि वे अपने आस-पास ही रह परिवर्तनों, शिक्षा संबंधी सशकारी नीतियाँ, तकनीक विकास आदि को ज्ञानने के लिए अभियान रहें साथ ही उन्हें अपने विषय का विस्तृत समझ रखने का जरूरत हो। शिक्षक वृत्तिक विकास में शिक्षक का शिक्षा में योगदान ही विशेष का पीछा नहीं है बल्कि उनका अवसर, दुर्गण, चरित्र, क्षमता जी उन्हें महत्वपूर्ण है। इसीलिए यह बहुत जरूरी है कि उनका चयोद्धव आदर्श ही। शाहद्वीप शिक्षा आयोग-१ में कहा गया है कि "शिक्षक का दर्जा एक जटिल वैशानिक संकल्पना है, और विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में इसका अर्थ भिन्न-भिन्न हो सकता है। शिक्षकों की सामाजिक परिवर्तनों में महत्वपूर्ण सुनिमिका का निम्नाने की आवश्यकता है। विशेष शिक्षकों का सामाजिक परिवर्तन उनके वृत्तिक विकास का अहम अंग है। उन्हें पर्यावरण के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। विद्यालय की संचालित करने में

उनका अहम योगदान होना चाहिए। चेतना-स्त्री
की दिन का शुरूआत करवाना चाहिए। चेतना-स्त्री
उबाउ न हो इसका उत्थापन उत्थना चाहिए।
कृष्ण-कृष्ण आनंदमय व कृचिकर हो। वक्त
के साथ पूर्वतीनशील हो, विद्याशीर्षी, शिक्षकों
व सहकामयों के साथ मुमारी प्रभावी
संबंध स्थापित करें। साश्चिन्तक प्रशासीनों का
उत्तरदायित्वों का निर्वाह करें।

* शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम : आवश्यकता, महत्व, प्रकार व वर्णनप

शिक्षक के वृत्तिकृतिका सुन के लिए कई प्रकार के शिक्षक प्रशिक्षण कार्य आयोजित किए जाते हैं। इसका उद्देश्य शिक्षक के कौशल का विकास करना है। इसका दो प्रमुख प्रकार हैं-

i) सेवापूर्व अद्यापक प्रशिक्षण - यह प्रशिक्षण सेवा में आने से पहले प्राप्ति किया जाता है। प्राशिक्षणिक, मानविकी में और उच्च अवश्यकताओं के लिए प्रशिक्षण की अल्पा-अल्पा घटवश्य है। इस प्रशिक्षण के मानविकी सेवा के पृष्ठभूमि, कानून व विद्यालय प्रबंधन के बारे में संख्यात्मा जाता है। इसी बात का भी जानकारी दिया जाता है कि उच्चों के सर्वोंगिण विकास के लिए वो सम्मुदाय के अद्यै संबंध को स्थापित करेंगे।

ii) सेवाकालिन शिक्षक प्रशिक्षण - इस प्रशिक्षण के अंतर्गत सेवारत शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाता है। इसका उद्देश्य शिक्षकों के कार्यक्षमता और कुशलता में वृद्धि लाना होता है। आज की समाज में हमेशा कुछ-न-कुछ बदलाव होते रहते हैं। इस प्रशिक्षण द्वारा शिक्षकों को उस बदलाव से अवगत कराया जाता है। ऐसे नवीन विचारधाराओं को परिचित कराया जाता है। मल्टीमीडीया, इंटरनेट, सूचना संचार की महत्व को बताया जाता है तथा इसकी जानकारी दी जाती है।

* विद्यालय में नीतित्व व्यवस्था और शिक्षक; प्रशासनिक, सामूहिक, शिक्षणशास्त्रीय, परिवर्तनकारी

विद्यालय एक संस्था है जहाँ बच्चों को शिक्षा दी जाती है और उनके सर्वांगीण विकास का ध्यान रखा जाता है। अतः विद्यालय का नीतित्व व्यवस्था संतुलित और समजवृत्त होना चाहिए। विद्यालय के नीतित्व व्यवस्था में प्रशासन, समाज, शिक्षणशास्त्रीय, और परिवर्तनकारी का अहम सूचका होता है। जो नियम इनके होरा बनाया जाता है, उसके आधार पर शिक्षक को शिक्षणकार्य करना होता है। शिक्षण के लिए सूखे ज्ञानों जैसी हैं - "शिक्षक" इसीलिए शिक्षक को हमेशा सीखने के लिए तैयार व तत्पर रहना चाहिए। शिक्षकों को अपने ओस-पास हो रहे परिवर्तनों, शिक्षा संबंधी सरकारी नीतियों, तकनीक विकास इत्यादि के बारे में जाने जानने के लिए सज्जा रहना चाहिए। ताकि वो नीतित्व व्यवस्था के साथ ताल-मेल बिठा सकें। और बच्चों को समयनुसार ज्ञान प्रदान कर सकें। प्रशासनिक, सामूहिक, शिक्षणशास्त्रीय और परिवर्तनकारी कृपों को योगदान हम इस तरह देख सकते हैं -

- i) प्रशासनिक - प्रधानमंत्रीपक और शिक्षक से नीतित्व करने की क्षमता होना आवश्यक है। उनमें कठ नेता का भी हुण होना चाहिए। ताकि वो विद्यालय और कक्षा का सचालन सही तरीके से कर सकते हैं। दूसरा पहलू यह है कि शिक्षकों को प्रशासन के हसाब से कार्य करना होता है।

ii) सामूहिक - शिक्षक में यह हुण होना अति-आवश्यक है। शिक्षक को हमेशा से समृद्धि में कार्य करने का जरूरत होता है। इसीलिए उनमें समृद्धि में कार्य करने की क्षमता होना चाहिए। वैयाकिरिक सम्बन्धों होने पर भी उन्हें अचूक संबंध व्यक्तिपत करने का कौशल होना चाहिए। यह हुआ शिक्षक में सामूहिक हुण और दूसरा बात यह है कि शिक्षक के कार्य में समृद्धि व समाज का हस्तक्षेप होता है। उन्हें समाज की ध्यान में रखकर कार्य करना होता है।

iii) शिक्षणशास्त्रीय - शिक्षणशास्त्रीय द्वारा बनाया गया पाठ्यचयार्य - पाठ्यक्रम के आधार पर शिक्षकों को शिक्षण-कार्य करना होता है। साथ- ही ऐसे शिक्षक में भी यह हुण होना चाहिए। उन्हें अपने विषय पर अचूक पकड़ होना चाहिए।

iv) परिवर्तनकारी - शैक्षणिक प्रणालियों और विद्यालयों के सीतर समाचर-समाचर पर विचानन प्रकार का परिवर्तन होना आम बात है। यह परिवर्तन बहुत, आंतरिक या दोनों के संघीजन से किया जाता है। इन परिवर्तनों का अहम लक्ष्य होता है द्वात्रों के शिक्षण में कुछार लीना। हालांकि इन परिवर्तनों के कुछ समस्याओं का भी समाना करना पड़ता है। ऐसे वक्त में विद्यालय प्रमुख को इस बात पर विचार करना चाहिए कि वो इसे कैसे लागू करेंगे। इसके लिए सही रणनीति नीचार करना

चाहिए। यहाँ पर शिक्षकों का किरदार नायक की तरह होता है, व्याकिं शिक्षक ही इन परिवर्तनों और नई नीतियों का किया-वय करते हैं। इसे अस्तित्व से भाते हैं। और शिक्षक में भी एक परिवर्तनिकारी का हुण हीना चाहिए। उन्हें सही बदलाव लाने के लिए हमेशा तेगार २हना चाहिए।

* शिक्षक तनाव प्रबंधन : अवधारणा, तनाव के कारण एवं निदान

जब कोई व्यक्ति मानसिक रूप से शारीरिक रूप से या भावनात्मक रूप से अपना संतुलन छो देता है तो, उसे 'तनाव' कहते हैं। मन के अल्ट्राकूल काय नहीं होने पर, आश्रित संगी या व्यक्तिता के कारण तनाव महसूस होता है। पहले माना जाता था कि व्यक्ति बाहरी परिस्थितियों के वजह से तनाव महसूस करते हैं। ऐसिन आज के समय में, शैक्षणिक शाश यह पाण्य गथा है कि प्रभावित व्यक्ति अपनी खुद की सौच-समझ और विचारों के वजह से तनाव से ग्रसित होते हैं। आज के समय में तनाव लोगों के लिए बहुत ही सामान्य अल्पमात्र घन डुका है। यह सभी लोग तनाव से झुजरते हैं, याहे वो किसी भी पेशा से ही। शिक्षकों को भी इसका सामना करना पड़ता है। शिक्षक एकली वातावरण को कैसे आत्मसात करते हैं, वहों को माहील पर क्या सौच-समझ बनाते हैं,

वहाँ की मांग और संसाधनों के बीच कैसे ताल-मेल खिराते हैं, इन जब बातों से उन्हें तनाव महसूस हो जाता है।

तनाव को हम दो रूपों में देख सकते हैं पहला सकाशात्मक हृदिटकीण से, ये हमें मुश्किल होता है जैसे जूझने की प्रेरणा और ताकत देता है। ये हमें प्रौढ़ साहित करता है कि हम अपना कार्य सही समय पर करें। दूसरा नकाशात्मक हृदिटकीण से जब तनाव नियंत्रण से बाहर हो जाता है तो वह नकाशात्मक प्रभाव डालने लगता है। और इससे व्यक्त वीमान होने लगता है। कैसे मैं लोगों को तुरंत मनोचिकित्सक से सेपर्क करना चाहिए।

शिक्षकों के जीवन में तनाव के कुछ मुख्य कारण निम्नलिखित हैं:-

- i) आत्मविश्वास की कमी।
- ii) नकाशात्मक सौच रखना।
- iii) स्कूल प्रशासन के साथ किसी मुद्दे पर खींचतान होना।
- iv) अपने शिक्षक सांघर्षों व सहकर्मियों के साथ अच्छा सबैदा व्यापत नहीं होना।
- v) वी-क्लस में अपने उमीद के हिसाब से प्रदर्शन नहीं कर पाना।
- vi) अहीं समय पर पाठ्यक्रम का पूरा नहीं कर पाना।
- vii) शाशरती घट्टों पर नियंत्रण नहीं कर पाना।
- viii) शिक्षा के अभाव अन्य कार्य का बोझ होना।
- ix) अपने लिए समय नहीं निकाल पाना।
- x) आगदैड़ी।
- xi) आनंद।
- xii) परिवार का समस्या।

निदान :- तनाव जब हद से ज्यादा हो जाता है तो यह बीमारी का रूप लेता है। इसीलिए हमें यह कीशिश करना चाहिए कि समय रहते इस समस्या का हल निकाल लें। शिस्तकों की जिंदगी में समय की बहुत व्यस्तता होती है। ज्ञात दिन में हः दिन शेष ५-६ घण्टा ३-है विद्यालय से बहाना होता है। इसीलिए शिस्तकों को चाहिए कि वह अपना सभी कार्य समय पर कर ले। अगर वो काम को जमा करते जाएंगे तो बाद में वो बीझ लगाने लगेगा। और ३-है तनाव महसूस होगा। कि शिस्तकों के लिए यह भी जरूरी है कि वो आवश्यकतानुसार नींद ले, छोड़ दोगा करे व सहुलित माजन खाए ताकि उनका क्वार्टर अच्छा रहें। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि "क्वस्त्र शरीर में क्वस्त्र मन का वास होता है"। इससे वो अपने समस्याओं की सकारात्मक रूप में हल कर पाएंगे। शिस्तकों के लिए यह भी जरूरी है कि वह कुछ प्रशासन, व्यवस्था, वातावरण के साथ सहुलित ताल-मेल बिठाए। बच्चों के साथ अच्छा संबंध रखें। उनके इच्छाओं व क्लिंचियों को ध्यान में रखकर शिश्य प्रदान करें। बच्चों से जरूरत से ज्यादा उम्मीद नहीं रखना चाहिए। इन बाब के बाद भी अगर ३-है अत्यधिक तनाव महसूस हो रहा हो तो मनोचिकित्सक के संपर्क करें।

* शिक्षक के वृत्तिक विकास में स्वाध्याय, लेखन व सहकारियों की मुमिका

शिक्षक के वृत्तिक विकास में स्वाध्याय, लेखन व सहकारियों का अहम् सूमका होता है। इससे शिक्षक नया ज्ञानकारी पाने के लिए प्रश्ननशील रहते हैं। बच्चों की कुछ नया सीखने का प्रबास करते हैं। तथा शिक्षण कार्य में नई सुचनाओं एवं विद्यों का प्रयोग करते हैं। इन सब के से शिक्षक के वृत्तिक विकास में निम्नांक आता है। वी बच्चों के बीच प्रचलित हो जाते हैं और बच्चे उन्हें आदेश मानने लगते हैं। शिक्षक के वृत्तिक विकास में स्वाध्याय, लेखन व सहकारियों की मुमिका निम्नलिखित है:-

- i) स्वाध्याय - स्वाध्याय का अर्थ है- आत्म-शिक्षण, जिसमें आत्म चिंतन, मनन और अध्ययन का समावेश होता है। जब हम किसी विषय-वस्तु को खुद से परिचय करने के सीखते हैं तो उसमें एक नयापन होता है। नयापन हमें स्वाध्याय के हारा ही प्राप्त हो सकता है। जब हम कोई शान किसी और के हारा प्राप्त करते हैं तो वी ज्यादा विवरण नहीं देते हैं। लोकन स्वाध्याय हारा प्राप्त क्षान हमें बहुत दिनों तक याद रहता है। स्वाध्याय करने से चिंतन शोकत का विकास होता है। उचित अनुचित के बीच अंतर स्पष्ट होता है। नीतिक गुणों का विकास होता है। हमने देखा है कि जितने भी महापुरुष हों वे जब स्वाध्यायी हों और उन्होंने देश का मानविक्यात उचित किसा वर्तमान शिक्षा पढ़ती में बहुत

जीसियाँ हैं, जिसे उक्त शिक्षक द्वारा कर सकते हैं। और शिक्षा में नवापन भी सकते हैं। इससे उनका आत्मविश्वास भी बढ़ता है।

ii) लेखन - लेखन द्वारा शिक्षक अपने मुखों विचारों को अपने माध्यम में लिखने का चौथाता प्राप्त कर सकते हैं। इसके माध्यम से वो किसी भी क्षेत्र से अपना विचार स्पष्ट रूप से रख पाते हैं। इससे उनके आत्मविवरण की कुशलता में विकास होता है। लेखन उद्देश्य का भी मूल आधार है। एक शिक्षक में स्ट्रानात्मक का गुण हीना आवश्यक होता है। इससे शिक्षकों का मापदंशों का भी विकास होता है। इससे वो किसी विषय-परस्ति की क्रमबद्ध और स्पष्ट रूप से बच्चों के बीच प्रस्तुत कर सकते हैं। और कीठन बातों को सहज और जुगम तरीकों से पढ़ा सकते हैं।

iii) सहकारीयों - शिक्षक और सहकारी सिलकर विद्यालय में स्वसंघ वातावरण का निर्माण करते हैं। जिससे शिक्षण-कार्य बना किसी सुरक्षित से सहज तरीके से चलता है। स्वसंघ वातावरण का सकारात्मक प्रभाव बच्चों पर होता है।


इकाई - ५ : महत्वपूर्ण शैक्षिक संस्थाएँ प्रशासन केंद्र व सरकारी योजनाओं की समीक्षात्मक लाभदारी

देश में कई सारी संस्थाएँ हैं जो विद्यालयी शिक्षा की बेहतर बनाने के लिए नीतियाँ एवं मार्गदर्शक तेजार करते हैं। इसी आधार पर राज्य केंद्र पर कई मीडिय संस्थाएँ हैं, जो विद्यालय के लिए नीति तेजार करते हैं। राज्य केंद्र के संस्थाओं द्वारा वहाँ का अध्यानीय संस्कृत व वातावरण का उद्यान बना जाता है। यह सब नीतियाँ और दिशा-निर्देश विद्यालय संचालन में अहम मुद्दों का निभाती है। इसका क्रियान्वयन शिक्षकों द्वारा किया जाता है। इसीलिए शिक्षकों को इस योजनाओं के संबंध में जानकारी रखनी चाहिए।

* विभिन्न संस्थाओं के कार्यों की लाभदारी तथा विद्यालय के संदर्भ में अपरिहितः

→ निकटवर्ती जिला क्षतरीय संस्थाएँ -

- i) स्कूल संसाधन केंद्र (CRC) - Cluster Resource Centre
- ii) प्रश्नक संसाधन केंद्र (BRC) - Block Resource Centre
- iii) जिला संसाधन केंद्र (DRC) - District Resource Centre



एक ज़िले में 10-15 विद्यालय तथा 40-50 शिक्षक होते हैं। इसका स्थापना अपने अंतर्गत आने वाले विद्यालयों के शिक्षकों को प्रत्यक्ष अकादमिक संसाधन सहायता प्रदान करने के लिए किया गया है। यह इस बात की सुचना उपलब्ध करवाते हैं कि किस हद तक विमणीय कार्यक्रमों को विद्यालय में भागु किया गया है। तथा इन कार्यक्रमों को भागु करने में कौन-कौन सा समर्था आया है। लगभग सभी राज्यों के लोक में प्रश्नावाद संसाधन केंद्र का स्थापना किया गया है। इसका नियमित राजस्व लोक के आधार पर किया गया है न कि शिक्षायी लोक के आधार पर। यहाँ विद्यालय संबंधी सुचना कल्पित किया जाता है, साथ ही अन्य प्रबंधन संबंधी कार्य भी किया जाता है।

छत्तीसगढ़ ज़िले में एक ज़िला संसाधन केंद्र का भी स्थापना किया गया। राज्य के सभी ज़िलों से सरकारी डिग्री कॉलेज हो जो आधिकतर प्रामीण या अर्द्ध प्रामीण क्षेत्र में हैं। यहाँ छात्रों की हमेशा संसाधनों का कम होता है। शिक्षकों की कमी भी महसूस होता है। क्षेत्र में उन्हें सहायता का खर-खरत होता है। कृष्ण प्रद्युम्नी में JRC विद्यार्थीयों को मदद करता है।

⇒ जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (DIET),
 प्रारंभिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय (PTEC)

DIET - District Institute of Educational Training

PTEC - Primary Teacher Education College

देश में शिक्षक शिक्षा एवं प्रशिक्षण बगवत्ता में
 सकारात्मक परिवर्तन लाने हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति-
 1986 में बदलाव लागा गया। जिसमें देश के प्रत्येक
 जिला में डायट ऑफिस की परिकल्पना की गई।
 डायट में शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाता है।
 यहाँ शिक्षकों को उनके कठिनतया का बोध कराया
 जाता है। विद्यालय के उद्देश्य व नियमों से अवगत
 कराया जाता है। हर एक जिला में एक ही डायट
 होता है।

अवधिता के बाद भी प्रारंभिक विद्यालय में
 शिक्षकों की कमी तथा प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी
 श्री। इस्तीफ़ादी पी. टी. ई.सी. का ग्राहण किया
 गया। यहाँ विशेषज्ञ प्रारंभिक विद्यालय के
 लिए शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाता है। यह एक
 जिला में एक से ज्यादा भी हो सकता है।

इन संस्थानों का मुख्य कार्य निम्नलिखित है:-


- i) स्थानीय स्तर पर प्रारंभिक शिक्षा की जरूरतों एवं
 समस्याओं का सर्वेक्षण करना।
- ii) शिक्षकों में उनके विषयों एवं शिक्षण पद्धतियों
 में जुआर लाने हेतु प्रशासन करना।
- iii) विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता में जुआर लाना।

* राज्य अनशील संस्थाएँ -

⇒ राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद् (SCERT)
 State council of Educational Research
 (and Training)

SCERT का अस्थापना विद्यालय शिक्षा में कुछ गुणवत्ता लाने हेतु सभी राज्यों में अस्थापना की गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) में इसकी परिकल्पना की गई और वर्ष (1992) में क्रियान्वयन हुआ।

इसके द्वारा DIET और PTET के प्राचारों संबंधी शिक्षा को हेतु प्रशिक्षण सी आयोजित किया जाता है।



SCERT का कार्य

- i) शिक्षा में सुधार लाना
- ii) शिक्षक शिक्षा में सुधार लाना
- iii) शैक्षिक नवाचारों के लिए प्रचार करना
- iv) शैक्षिक संस्थानों के लिए शिक्षण सामग्री तंचार करना
- v) शिक्षकों की कैरियरकालीन एवं पूर्व कैरियर प्रशिक्षण प्रदान करना।
- vi) पाठ्यपुस्तक सुहेला करना।
- vii) पाठ्यचयनी और पाठ्यक्रम का नियमन करना।



⇒ बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् (BEPG) Bihar

Education Project Council -

इस परियोजना का
शुरूआत जन्‌ट 1991 में बिहार में प्रारंभिक शिक्षा
में हुआ एक ऐसे मात्रामें सुधार लाने हेतु की
गई थी। इसके द्वारा लोलकाओं, अल्पसंख्यत,
समाज से विचित व दूषित ऐसे पहुँच वर्गों की
शारीरिक शिक्षा पर जोर दिया गया।

⇒ बिहार विद्यालय परीक्षा बोर्ड (BSEB) Bihar, school

Examination Board - यह राज्य के विद्यालयों को सान्तता प्रदान
करती है तथा माध्यमिक विद्यार्थों की परीक्षाओं का
आयोजन करती है। यह प्रमाणफा भी जारी करता है।
यह संस्था पटना में है।

⇒ बिहार अंसूकान शिक्षा बोर्ड (BSSB)

* राष्ट्रीय कृति की संस्थाएँ
 ⇒ राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद
 (NCERT) National Council of Educational Research and Training - यह एक संगठन के रूप में ग्राहापति किया गया। तात्काल शिक्षा से संबंधित नीतियों को भागी करने में 2002 तक केंद्र सरकारों की परमाणु और सहायता प्रदान की जा सकती है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। देशभूमि शिक्षा में शोध एवं प्रशिक्षण हेतु वैदिक समानवय एवं आधुनिकवयन हेतु परिषद की नियन्त्रण प्रमुख इकाईयों हैं -

- i) राष्ट्रीय शिक्षा संस्था (NCERT)
- ii) केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान (CBSE)
- iii) क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय

⇒ केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) central Board secondary Examination नहीं दिल्ली - यह 10th और 12th की परीक्षा की आयोजित करती है तथा प्रसारपत्र देती है। अधिकतर नीजी विद्यालय इसके अंतर्गत आते हैं। केंद्रीय विद्यालय तथा नवीदय विद्यालय की परीक्षा भी इसी द्वारा ही जाती है।

⇒ राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय (NUEPA) (National University of Educational Planning and Administration). यह शैक्षिक योजना एवं प्रबंधन के क्षेत्र में समाज विकास और शोध कार्य में संलग्न है।





Note _____
Page _____

⇒ राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद् (NCERT) (National Council for Teacher Education) — देश में अध्यापकों को प्रशिक्षण का मुक्ति देने से जिसकी जिम्मेदारी इसकी है। इसका केंद्रिय मुख्यालय नई दिल्ली है तथा चार द्वीप, मुख्यालय जगपुर, रोपाल, मुवनेश्वर तथा बंगलीर हैं।

- * अंतर्राष्ट्रीय एवं गैरसारकारी संस्थाएँ
 - ⇒ यूनिसेफ (UNICEF) United Nations International Children's Emergency Fund — सामाजिक विकास में अहम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका प्रमुख कार्य निम्न है —
 - i) जो उच्च विद्यालय नहीं जाते हैं, उनको औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत लाने का काम करना
 - ii) बालिका, वंचित व दीलत कर्म का सशक्तिकरण करना
 - iii) शिक्षण अधिगम सामग्री का विकास एवं शोध

⇒ World Bank —



Date _____

Page _____

* शैक्षिक योजनाओं के प्रमुख पहलुओं तथा विद्यालय के संदर्भ में उपयोगिता:

⇒ सर्व शिक्षा अभियान (SSA) - इसके अंतर्गत शैक्षिक वातावरण को सुधार रखे और स्कूलिविद्यारुचिकृत बनाना है। 6-14 वर्ष की सभी बच्चों को सुकृत शिक्षा प्रदान करना है। (सब पढ़े सब बढ़े)

⇒ राष्ट्रीय मानविक शिक्षा अभियान (RMSEA) इस योजना को मार्च 2009 से लागू किया गया। इसका मुख्य लक्ष्य था मानविक अवधि तक बच्चों का पहुंच बढ़ाना तथा दुणवशा में सुधार जाना। साथ ही इह शैक्षिक संसाधन में सुधार होना चाही है। (पढ़े चलो, छढ़े चलो)

⇒ समीकृत बाल विकास योजना (JCDS) Integrated child development services - यह केंद्रीय योजना का प्रोग्राम है। इसके अंतर्गत 0-6 वर्ष तक के बच्चों को संतुलित आहार, पूर्ण प्राथमिक शिक्षा तथा अवास या संबंधी सहायता प्रदान किया जाता है।